आई.पी.एस. स्थिति निगरानी पैनल निम्नलिखित संकेत दृश्य और श्रव्य अलार्म के साथ प्रदान किया जाता है। दिए गए ACK बटन को दबाकर श्रव्य अलार्म को शांत किया जा सकता है।
आई.पी.एस. स्थिति निगरानी पैनल निम्नलिखित संकेत दृश्य और श्रव्य अलार्म के साथ प्रदान किया जाता है। दिए गए ए.सी.के. बटन को दबाकर श्रव्य अलार्म को बंद किया जा सकता है।

1. जनरेटर शुरु/ Start generator	यह संकेत दर्शाता है कि बिजली सप्लाई की विफलता की सूचना एस.सी.ओ.आर., टी. एस.एस.ई (इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई/इलेक्ट्रिकल जनरल) को दी जाएगी।
2.आपातकाल जनरेटर शुरु / Emergency Start Generator	उपरोक्त क्रमांक 1 के समान
3. सिस्टम बंद / System Shut Down	स्थानीय राज्य बोर्ड की विद्युत सप्लाई बाधित होने के दो घंटे बाद यह संकेत दिखाई देगा और पैनल खाली हो जाएगा।
4. सि व दूर. कर्मचारियों को बुलाएं / Call S&T staff	यह आई.पी.एस. की किसी खराबी का संकेत देता है

टिप्पणी :

क) आर.ई. क्षेत्रों में सिगनल व दूरसंचार इन्स्टॉलेशन के लिए विद्युत सप्लाई सामान्यतः **25** के.वी. ओ.एच.ई. दबाकर उपयुक्त क्षमता के ए.टी. के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ख) विद्युत सप्लाई सिंगल ए.टी. से ली जाएगी तथा उपयुक्त क्षमता का डीजी सेट स्थापित किया जाएगा।

ग) उन स्टेशनों पर जहां स्थानीय विद्युत सप्लाई भी उपलब्ध है, यह विद्युत सप्लाई के स्टैंडबाय स्रोत के रूप में कार्य करेगा। (विवरण के लिए आई.आर.एस.ई.एम. के पैरा संख्या-**16.2.1** देखें)
घ) पावर सप्लाई की उपलब्धता राज्य बोर्ड को पैनल रूम में ऑटो चेंजओवर पैनल पर दर्शाई जाती है। सभी उपलब्ध पावर सप्लाई संकेतों को प्रतिदिन ड्यूटी पर मौजूद एसएम द्वारा सत्यापित/परीक्षण किया जाना चाहिए।

ड़) ऑटो-चेंज ओवर की विफलता के मामले में, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. मैन्युअल रूप से स्विच को सप्लाई में बदल देगा, जो भी उपलब्ध हो। पावर सप्लाई की विफलता के सुधार के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत (सा) को सूचित किया जाएगा।

च) जब भी कोई सिगनल ऑफ किया जाए, तो पावर सप्लाई में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

छ) ऑटो चेंज ओवर पैनल का रखरखाव विद्युत (सामान्य) द्वारा किया जाता है और चेंज ओवर पैनल में दोष की सूचना एस.सी.ओ.आर. और विद्युत (सामान्य) को दी जानी चाहिए।

5. **दूरसंचार :**
इस स्टेशन पर लगाए गए टेलीफोन संचार की जानकारी के लिए संलग्न **परिशिष्ट ख** के **भाग II** को देखे।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

6. **गाडी संचालन की कार्यप्रणाली :**

6.1 कर्मचारियों की कर्तव्य सूची परिशिष्ट 'घ' और फाटकवाला की कर्तव्य सूची परिशिष्ट में

6.2 दी गई है:

6.1.1 **स्टेशन पर तैनात कर्मचारी:**

क्र. सं.	**श्रेणी**	**पदस्थ कर्मचारियों की संख्या**	**प्रत्येक पारी में कर्मचारियों की संख्या**	**पारी**
1	स्टे. प्र.	01	01	दिन
2	उप. स्टे. प्र.	02	01	रोस्टर के अनुसार
3	छुदा/विदा.उप. स्टे. प्र.	01	--	--
4	कांटावाला	02	01	रोस्टर के अनुसार
5	छुदा/विदा कांटावाला	01	--	--
6	फाटकवाला	03	01	रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइन क्लियर होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :**

कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा नियंत्रण पैनल पर देखकर अपेक्षित दूरी तक लाइन क्लियर होने की जांच करने के लिए तथा गाड़ी को लेने से पहले व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :**

(i) प्रत्येक स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके स्टेशन पर लागू स्टेशन संचालन नियम साइट पर मौजूद स्थितियों के अनुसार सही है। कुछ गलत हो तो उसे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के ध्यान में लाना होगा।

(ii) वह इस बात पर ध्यान देगा कि उसके स्टेशन पर कार्यरत ट्रेन पासिंग स्टाफ ने अनुदेशों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है तथा पावती रजिस्टर में स्टाफ के हस्ताक्षर लेगा।

(iii) वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्टेशन संचालन नियम की विषय-वस्तु क्षेत्रीय भाषा में समझाएगा।

(iv) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पावती रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने से पहले रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ पावती देनी होगी। अशिक्षित कर्मचारी अपना अंगूठा निशान लगा सकते हैं।

(v) यदि स्टेशन संचालन नियम में कोई परिवर्तन होता है या कर्मचारी ने उस स्टेशन पर लगातार 15 दिनों तक काम नहीं किया है, तो नई पावती लेनी चाहिए।

6.2 **लाइन क्लियर प्रदान करने की शर्तें :**

यह स्टेशन पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है। संचालन के इस प्रणाली के अंतर्गत पीछे के स्टेशन को लाइन क्लियर प्रदान करने से पहले निम्नलिखित मदों का अनुपालन करना चाहिए।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रब.पुणे

क) पिछली अंतिम गाड़ी यदि कोई हो वह पूरी तरह आ गई हो।

ख) उक्त गाड़ी के पीछे सभी संबंधित आगमन सिगनलों को **'ऑन'** स्थिति में किया गया हो।

ग) लाइन खाली रखी जाएगी :-

i. अप गाड़ी के लिए – अप मेन लाइन पर पॉइंट क्रमांक 112 ख तक
ii. डाउन गाड़ी के लिए – डाउन मेन लाइन पर बी.एस.एल.बी. तक

टिप्पणी –

1. कोपरगावं के लिए अप गाडी के लिए लाइन क्लियर प्रदान करने से पहले ऑन ड्यूटी स्टे.मा. समपार फाटक संख्या 63 पर कार्यरत फाटकवाले को सड़क यातायात के लिए समपार फाटक को बंद तथा तालित करने के लिए सूचित करेगा और उससे आश्वासन प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा।

2. लाइन क्लियर देने से पहले, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. को पैनल इंडिकेशन से यह सुनिश्चित करना होगा कि एप्रोच स्टॉप सिगनल खाली नहीं हैं। यदि कोई भी एप्रोच सिगनल खाली रहता है, तो वह पीछे के स्टेशन के स्टे.मा. को लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करने की सूचना देगा, जिसमें उसे अपने स्टेशन पर मौजूदा स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी कि वह एप्रोच करते समय सतर्क रहे। ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. खराब सिगनल के नीचे वर्दी में एक पॉइंट्स मैन को भी तैनात करेगा, जो आने वाली ट्रेन को खतरे का संकेत देगा। ट्रेन को एसआर 3.68-4 के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।
3. जब परिस्थितियां लाइन क्लियर करने के योग्य न हो, तो ड्यूटी पर तैनात स्टे.मा. ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित ब्लॉक स्टेशन के स्टे.मा. को सूचना देगा।
(देखें :- ब्लॉक संचालन नियम 2008 का पैरा क्रमांक - 4.13).

6.2.2 **किसी गाड़ी को लेने या भेजने के लिए पालन की जाने वाली कोई विशेष शर्ते :**

6.2.2.1. अवरुद्ध लाइन के लिए कांटों को सेट करना :

जब कभी लाइन क्लियर मिलने के लिए प्रतिक्षारत गाड़ी या क्रासिंग या प्रीसीडेंस के लिए रोकी गई गाड़ी द्वारा रनिंग लाइन अवरोधित हो गई हो तो कार्यरत स्टेमा **SR 3.38-2** of G & SR 2023. में दिए मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार निकटस्थ खाली या अवरोधित लाइन के लिए काँटों को सेट करेंगा।

6.2.2.2 **अवरुद्ध / अवरोधित लाइन पर गाड़ी का आगमन :**
सा.नि.5.09 में दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

6.2.2.3 **सिगनल रहित लाइन पर गाड़ी का आगमनः**
सा.नि.5.10 में दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

6.2.2.4 **सिगनल रहित लाइन से गाड़ी को रवाना करनाः**
सा.नि.5.11 और स. नि.5.11-1 में दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

6.2.2.5 **कॉमन प्रस्थान सिगनल की व्यवस्था किए गए लाइन से गाड़ी को रवाना करना:** लागू नहीं

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

6.2.2.6 **साधारण एवं सहा.नियम के संदर्भ में उल्लेख की जानेवाली अन्य कोई विशेष शर्ते :**लागू नहीं

6.3 **आगमन (अपरोच) सिगनलों को ऑफ करने की शर्ते :**

6.3.1 गाड़ियों के आगमन के लिए **निकट** सिगनल को 'ऑफ' करने से पहले,अपेक्षित मार्ग के सभी संबंधित कांटों को उचित रुप से सेट और तालित करना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों का अवश्य अनुपालन किया जाएः-

i) डाउन गाड़ियों को अप और डाउन लूप लाइन पर लेना :

एन-रूट पॉइंट्स को अप और डाउन कॉमन लूप लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप को डेड एंड पर सेट किया जाना चाहिए और लाइन को डेड एंड तक खाली होनी चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा 9.02(ए) (iii) में निर्धारित किया गया है या, एन-रूट पॉइंट्स को अप और डाउन कॉमन लूप लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप को डाऊन मेन लाइन पर सेट किया जाना चाहिए और लाइन को डाऊन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नंबर एस-8 तक खाली होना चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा 9.02(क) (ii) में निर्धारित किया गया है।

ii) डाउन गाड़ियों को डाउन मुख्य लाइन पर लेना :

मार्ग में स्थित पॉइंटों को डाऊन मेन लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप डाउन मेन लाइन पर सेट किया जाना चाहिए और लाइन डाऊन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नंबर एस - **8** तक खाली होनी चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा **9.02 (**क) (**i**) में निर्धारित किया गया है।

iii) अप गाड़ियों को अप लुप लाइन पर लेना :

मार्ग में पॉइंटों को अप लूप लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप डेड एंड पर सेट हो और लाइन डेड एंड तक खाली होनी चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा 9.02(क) (**iii**) में निर्धारित किया गया है या, मार्ग के पॉइंटों को अप लूप लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप अप मेन लाइन पर सेट हो और लाइन अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नंबर एस-21 तक खाली होनी चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा 9.02(क) (**ii**) में निर्धारित किया गया है।

iv) **अप गाड़ियों को अप मेन लाइन पर लेना :**

मार्ग में स्थित पॉइंटों को अप मेन लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए, जिसमें ओवरलैप अप मेन लाइन पर सेट किया जाना चाहिए और लाइन को अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नंबर एस -**21** तक खाली होना चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा **9.02 (**क) (i) में निर्धारित किया गया है।

v) अप गाड़ियों को अप और डाउन कॉमन लुप लाइन पर लेना :

मार्ग में स्थित पॉइंटों को शंटिंग नेक कम होल्डिंग लाइन पर ओवरलैप सेट के साथ अप और डाउन कॉमन लूप लाइन के लिए सेट और लॉक किया जाना चाहिए और लाइन को सामान्य स्थिति में पॉइंट संख्या 104 तक खाली होना चाहिए जैसा कि ब्लॉक प्रचालन नियम के पैरा 9.02 (क) (**iii)** में निर्धारित किया गया है।

नोटः- किसी भी अप या डाउन ट्रेन की रिसेप्शन के लिए**,** ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या **62** को सड़क यातायात के लिए बंद कर के लॉक किया जाना अनिवार्य है।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

6.3.2 गाड़ियों का आगमन - कार्यप्रणाली :

पिछले स्टेशन से आनेवाली गाड़ी के लिए **"इज लाइन क्लियर"** संकेत प्राप्त होने पर कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा., लाइन क्लियर प्रदान करेगा बशर्ते उपरोक्त पैरा **6.2 (सी) i तथा ii** में बताए अनुसार निर्धारित दूरी तक लाइन क्लियर होनी चाहिए।

गाड़ी को लेने के लिए कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा, खाली लाइन का चयन करेगा और नियंत्रण पैनल से तथा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करके सुनिश्चित करेगा कि ओवरलैप सहित लाइन क्लियर है।

स्टे.मा. कर्सर को संबंधित सिगनल आइकन पर ले जाएगा। फिर वह चुने गए सिगनल आइकन पर माउस के दाएँ बटन को क्लिक करेगा। इस क्रिया से एक पॉप-अप मेनू दिखाई देगा। सिगनल को हटाने के लिए, कर्सर को सिगनल की ओर ले जाना है और दाएँ बटन को क्लिक करना है, फिर एक मेनू दिखाई देगा, जिसमें कर्सर द्वारा OV1/OV2 के साथ संबंधित सिगनल का मार्ग चुनें और माउस के बाएँ बटन को क्लिक करें, तुरंत मार्ग सेट हो जाएगा और सिगनल क्लियर हो जाएगा।

गाड़ी के आगमन पर कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा. , व्यक्तिगत रूप से प्रदीप्त पैनल की जांच करेगा कि गाड़ी के आगमन के लिए '**ऑफ**' किए गए सिगनल '**ऑन**' स्थिति में आ चुके है, यदि नहीं आये है तो इस सिनगल को '**ऑन**' स्थिति में वापस करेगा और विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तदनुसार खराबी की सूचना देगा।

सिगनल को पुनः 'ऑन' करने के लिए, कर्सर को संबंधित सिगनल की ओर लाना होगा और पॉपअप मेनू पर 'सिगनल कैन्सल' का चयन करना होगा तथा माउस के बाएं बटन पर क्लिक करना होगा।

सिगनल को खतरे (लाल) में वापस डालने के बाद सिगनल का मार्ग छोड़ने के लिए, कर्सर को संबंधित सिगनल की ओर लाना होगा और पॉपअप मेनू पर 'रूट रिलीज' का चयन करना होगा और माउस के बाएं बटन पर क्लिक करना होगा।

विवरण हेतु कृपया अनुलग्नक 'ख 1' देखें

टिप्पणी :

1) निम्नलिखित उपयोग के लिए निकट सिगनलों के नीचे **बुलावा सिगनलों** की व्यवस्था की गई है –
   - क) जब अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने का इरादा है या
   - ख) जब निकट सिगनल को ऑफ करने की शर्त पूरी नहीं की गई है या
   - ग) जब निकट सिगनल खराब हो गया है।
   - घ) जब रेलपथ डाउन है।

6.3.3 सिगनलों को **'ऑन'** स्थिति पर पुन: करने के लिए स्टे.मा./ स.स्टे.मा., के उत्तरदायित्व :

6.3.3.1 स्टेशन पर गाड़ी का संपूर्ण आगमन होने पर, कार्यरत स्टे.मा. सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी को लेने के लिए '**ऑफ**' किए गए सिगनल गाड़ी द्वारा उन सिगनलों को पार करने के पश्चात अपने आप '**ऑन**' स्थिति पर आ गए हैं।

6.3.3.2 स्टेशन से गाड़ी को रवाना करने के पश्चात कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा. सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी को रवाना करने के लिए '**ऑफ**' किए गए सिगनल गाड़ी द्वारा उन्हें पार करने के पश्चात अपने आप '**ऑन**' स्थिति में आ गए हैं। तथापि, किसी कारणवश प्रस्थान सिगनल '**ऑफ**' करने के

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

बावजूद भी जब गाड़ी को रवाना नहीं करना है तब गाडी रोकने के लिए स्टेमा., प्रस्थान सिगनल को मैन्युअली वीडीयू के माऊस से '**ऑन**' स्थिति में वापस करेगा। तथापि वह मार्ग के कांटों को तुरंत नहीं बदलेगा जिससे गाड़ी को रवाना किया जाना है। (**सहा.नि.3.36-2 का कडाई से पालन करेगा**)। गाड़ी को लेने/रवाना करने के लिए एकबार '**ऑफ**' किए गए सिगनलों को तब तक '**ऑन**' नहीं किया जाए जब तब सामान्य रूप से संबंधित गाडी गुजर नहीं जाती है।

तथापि, आपातकाल में, गाड़ी के गुजर जाने से पहले संबंधित सिगनल को '**ऑन**' स्थिति पर वापस किया जाए बशर्ते विशिष्ट लाइन के साथ सेट किए गए संबंधित कांटों को तब तक बदला नहीं जाएगा जब तक गाड़ी रूक नहीं जाती है। तथापि दुर्घटना को टालने के लिए कांटें बदले भी जा सकते है।

टिप्पणी :

यदि कोई विशेष सिगनल ट्रेन के गुजरने पर या वीडीयू पर माउस के माध्यम से मैन्युअल संचालन से स्वचालित रूप से ऑन स्थिति में नहीं आता है, तो ड्यूटी पर तैनात स्टे.मा. को सेक्शन के सिगनल इंस्पेक्टर (एस.एस.ई./एस.ई./सिगनल) को इस बारे में सूचित करना चाहिए।

6.4 गाड़ी का साथ – साथ आगमन, रवाना करना, पारगमन और अग्रता देना -

1. यह स्टेशन डी/एल सेक्शन पर है; इसलिए एक साथ ट्रेन के रिसेप्शन और क्रॉसिंग की अवधारणा लागू नहीं होती। हालाँकि, डिवीजन के वर्तमान डब्ल्यु.टी.टी. में दिए गए निर्देशों/प्रतिबंधों के अधीन नियंत्रक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ट्रेन की अग्रगामित या प्रस्थान की व्यवस्था की जा सकती है।
2. गाड़ियों के अग्रता के दौरान कार्यरत स्टे.मा. सुनिश्चित करेगा कि पहले वाली गाड़ी का **सा.नि.14.10 और ब्लॉसंनि पैरा 4.16 तथा 4.17** में बताए अनुसार आगमन हुआ है।

6.5 गाड़ी का संपूर्ण आगमन (गाड़ी सेक्शन सिगनल के बाहर) -

6.5.1 कान्हेगांव – कोपरगांव तथा कान्हेगांव - पुणतांबा सेक्शन जहां **बीपीएसी** की व्यवस्था की गई है, वहां गाड़ी का संपूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए सा.नि.14.10(4) के अनुसार गाड़ियां संचलन करेगी।

6.5.2 गाड़ी के संपूर्ण आगमन के पश्चात भी यदि एक्सल काउंटर '**बाधित**' (लाल रोशनी – बडी) संकेत दर्शाता है साथ में चेतावनी घंटी बजती है तब ब्लॉक उपकरण को '**लाइन क्लोज्ड**' स्थिति में लाने के लिए जबरदस्ती प्रयास नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए लगाए गए बटन को दबाकर बजनेवाली घंटी का संज्ञान लिया जाएगा। एक्सल काउंटर रिसेट की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले और ब्लॉक सेक्शन में अगले गाड़ी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले स्टे.मा., **सा.नि.14.10 (1)** में दिए व्यवस्था का अनुपालन करेगा, जब गाड़ी के आगमन से वह सेक्शन क्लियर हुआ है या ब्लॉकिंग के कारण को हटाया गया है तब निर्धारित बेल कुट सिगनल देकर अगले ब्लॉक स्टेशन द्वारा पहले से ही ब्लॉक सेक्शन को बंद किया जाएगा।

6.5.3 ऐसा संकेत देने से पहले स्टे.मा. निर्धारित विशेष अनुदेशों के अनुसार स्वयं सुनिश्चित करेगा।

क) गाड़ी का संपूर्ण आगमन हुआ है, या सेक्शन ब्लॉक करने का कारण हटाया गया है।

ख) वे शर्ते जिनके अंतर्गत लाइन क्लियर दी जा सकती है वे पूरी हो चुकी हैं तथा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि गाड़ी जिसके लिए लाइन क्लियर दी गई है उसका संपूर्ण आगमन हुआ है। गाड़ी का संपूर्ण आगमन सत्यापित हो जाता है तब पैरा 6.8.4.3 में दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार प्रभावित सेक्शन के दोनों छोर पर एक्सल काउंटर रिसेट करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

ग) एक्सल काऊंटर विफल होने के मामले में, गाड़ी का संपूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली है कि स्वयं टेल लैम्प की जांच करना या सहा.नि.14.10-1 में प्राधिकृत साधनों द्वारा और ब्लॉसंनि के पैरा 4.17 के अनुसार सावधानियों का पालन लगातार सुनिश्चित किया जाए, जो निम्नानुसार है -

6.5.4 सीधी जाने वाले गाड़ी के मामले में पीछे के स्टेशन के लिए **"ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन"** सिगनल भेजने से पहले ऑन ड्युटी स्टे.मा. व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के अंतिम वाहन पर लगे **टेल बोर्ड** या **टेल बत्ती** जैसी भी स्थिति हो के साथ गाड़ी गुजर चुकी है और संबंधित निकट तथा दूरस्थ सिगनल '**ऑन**' स्थिति दर्शा रहा है।

6.5.5 स्टेशन पर प्रतिक्षारत गाड़ियों के लिए पिछले स्टेशन को **"ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन सिगनल"** भेजने से पहले ऑन ड्युटी स्टे.मा. नियंत्रण पैनल से अवश्य सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकट तथा दूरस्थ सिगनल '**ऑन**' स्थिति दर्शा रहे हैं और गाड़ी के प्रभारी गार्ड द्वारा गाड़ी का संपूर्ण आगमन हुआ है और **उल्लंघन चिह्न** क्लियर करके गाड़ी खड़ी है और अप तथा डाउन लूप लाइन के मामले में **डिरेलिंग स्विच के अंदर** खडी है इसके प्रमाणस्वरूप दिन में हाथ हिलाकर और रात के समय सफेद रोशनी दिखाकर सब ठीक है सिगनल प्रदर्शित करेगा।

6.5.6. जब कभी **स्टे.मा. कान्हेगांव** व्यक्तिगत अवलोकन करके तथा गाड़ी के प्रभारी गार्ड द्वारा दिन में हाथ हिलाकर और रात के समय सफेद रोशनी दिखाकर उसके गाड़ी का संपूर्ण आगमन हुआ है और उल्लंघन चिह्न को क्लियर करके खडी है इसका किसी कारणवश पता नहीं लगा पा रहा है। यदि गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बारे में कोई संदेह है तब स्टेमा., '**ट्रेन इनटैक्ट अराईवल रजिस्टर**' लेकर कांटेवाले को गार्ड के पास भेजेगा। '**ट्रेन इनटैक्ट अराईवल रजिस्टर**' प्राप्त होने पर गाड़ी का गार्ड गाड़ी का संपूर्ण आगमन हुआ है और गाड़ी उल्लंघन चिह्न को क्लियर करके खडी है इसका व्यक्तिगत अवलोकन करने पर '**ट्रेन इनटैक्ट अराईवल रजिस्टर**' मे गाड़ी के आगमन के बारे में बनाए गए उचित कॉलम में अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात इस उद्देश्य के लिए नामित कांटेवाला ऑन ड्युटी स्टे.मा. को हाथ से सब ठीक है सिगनल का आदान-प्रदान करेगा। कांटेवाले से सब ठीक है सिगनल प्राप्त होने के पश्चात स्टे.मा. पिछले स्टेशन को '**ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन**' सिगनल देगा।

6.5.7 अन्य सभी मामलों में स्टे.मा. कान्हेगांव स्वयं देखकर सनिश्चित करेगा कि गाड़ी का संपूर्ण आगमन हुआ है या अंतिम वाहन पर लगे **टेल बत्ती / बोर्ड** के साथ गाड़ी गुजर चुकी है जैसी भी स्थिति हो और बाद में **ब्लॉसंनि के पैरा 4.16 (बी)** के अनुसार पिछले स्टेशन के लिए '**ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन**' सिगनल देगा।

6.5.8 उन सभी मामलों में जहां गाड़ी का संपूर्ण आगमन नहीं हुआ है या गाड़ी उल्लंघन चिह्न का उल्लंघन करके खड़ी है तब पीछे से खतरा हाथ सिगनल प्रदर्शित करना और बिना विलंब स्टे.मा. कान्हेगांव के ध्यान में यह बात लाना यह गाड़ी के प्रभारी गार्ड की निजी जिम्मेदारी है।

6.5.9 अन्य गाड़ी को अग्रता देने के लिए जब कभी स्टेबल लोड, मालडिब्बा, वाहन या गाड़ी द्वारा परिचालित लाइन अवरूध्द हो जाती है तो पीछे के कांटो को तुरंत अवरूध्द लाइन के विरूध्द सेट करना चाहिए केवल उस परिस्थिति को छोडकर जब उस लाइन पर शंटिंग या किसी अन्य संचलन की आवश्यकता हो। स्टेमा/सस्टेमा.,तब तक '**ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन**' सिगनल नहीं भेजेगा जब तक कि वह नियंत्रण पैनल द्वारा पुष्टी नहीं कर लेता है कि अवरूध्द लाइन के विरूध्द कांटों को सेट किया गया है। यदि सभी परिचालित लाइनें अवरुद्ध हो गई है तो पीछे से आनेवाले गाड़ी के लिए "**लाइन क्लियर**" तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पिछले कांटों को ब्लॉक संचालन नियमावली के पैरा **4.17-2(ए) (ii)** में दर्शाए क्रम के अनुसार अवरुद्ध लाइन के साथ सेट न कर दिया जाए।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

6.6.1 गाड़ी को रवाना करने के लिए कार्यरत स्टे.मा. एस.सी.ओ.आर से परामर्श के बाद एस.जी.ई ब्लॉक उपकरण पर पहले से ही स्टेशन से '**लाइन क्लियर**' प्राप्त करेगा (कोपरगांव/पुणतांबा), बशर्ते पिछली अग्रता गाड़ी के लिए **ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन** सिगनल प्राप्त किया गया हो। स्टेशन को पहले से ही निजी नंबर के साथ इसे प्रदान करना होगा और संबंधित एस.जी.ई. ब्लॉक उपकरण के कम्यूटेटर को 'लाइन क्लियर' स्थिति में बदलना होगा। इसे प्राप्त करने पर, वह अनुलग्नक 'बी1' में दिए गए वीडीयू पर संचालन प्रक्रिया का पालन करके ट्रेन को रवाना करने के लिए संबंधित स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल को 'ऑफ' कर देगा। यह सत्यापित करने के बाद कि सही प्रस्थान सिग्नल 'ऑफ' कर दिए गए हैं, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. ट्रेन के गार्ड को एस.आर.4.35-1 के अनुसार ट्रेन शुरू करने के लिए अधिकृत करेगा।

6.6.2 ब्लॉक सेक्शन में गाडी प्रवेश करने से पहले, कार्यरत स्टे.मा. वी.डी.यू. से सुनिश्चित करेगा कि **ऑफ** किए गए सिगनल **ऑन** स्थिति में आए हैं और उसके बाद ब्लॉक संचालन नियम के पैरा 4.15 के अनुसार अगले ब्लॉक सेक्शन को **ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन** बेल कोड ब्लॉक उपकरण पर देगा और वीडीयू पैनल से संबंधित अग्रिम प्रस्थान सिगनल को ब्लॉक करेगा।

टिप्पणी:

1. अगले ब्लॉक स्टेशन पर ट्रेन भेजने से पहले, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. को ट्रेन का पूरा विवरण अर्थात ट्रेन नंबर, नाम आदि देते हुए एस.सी.ओ.आर. से ट्रेन को भेजने की अनुमति लेनी चाहिए। यदि ट्रेन नंबर स्पष्ट नहीं है, तो एस.सी.ओ.आर. के माध्यम से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
2. कोपरगावं स्टेशन पर डाउन ट्रेन को भेजने से पहले, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. को समपार फाटक संख्या 62, 63 पर ड्यूटी पर मौजूद गेटमैन को सड़क यातायात के लिए गेट बंद करने और लॉक करने की सलाह देनी चाहिए और समपार फाटक संख्या 63 को बंद करने और लॉक करने के आश्वासन के रूप में प्राइवेट नंबर प्राप्त करना चाहिए।
3. ट्रेनों के प्रेषण की विस्तृत प्रक्रिया के लिए एसआर 3.36-4(सी) देखें

6.7 रनिंग थ्रू गाड़ियां :

6.7.1 जब किसी गाड़ी को स्टेशन से रनिंग थ्रू की अनुमति देना हो तब कार्यरत स्टे.मा. अगले स्टेशन से '**लाइन क्लियर**' प्राप्त करने के पश्चात और रनिंग थ्रू जानेवाली गाडी को गुजरने के लिए खाली लाइन का चयन करेगा और नियंत्रण पैनल से सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लाइन क्लियर है।

6.7.2 इसके पश्चात वह गाड़ी को गुजरने के लिए संबंधित सिगनलों को '**ऑफ**' करेगा (**अंतिम स्टॉप,प्रस्थान तथा संबंधित निकट**)। जब गाड़ी अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है तब कार्यरत स्टे.मा. वी.डी.यू. पैनल से सुनिश्चित करेगा कि '**ऑफ**' किए गए सिगनल '**ऑन**' स्थिति में आ गए हैं।

टिप्पणी :

क) विस्तृत जानकारी के लिए **सहा.नि.3.36-4 (डी)** को देखे।
ख) स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करने से पहले, ड्यूटी पर तैनात स्टे.मा. को उस ट्रेन का पूरा विवरण देते हुए एस.सी.ओ.आर. की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, जिसे वह रन-थ्रू भेजना चाहता है।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

ग) सामान्यत: रनिंग थ्रू गाड़ी को स्टेशन से मुख्य लाइन से होकर जाने की अनुमति दी जाती है बशर्ते अगले स्टेशन से '**लाइन क्लियर**' प्राप्त की गई हो तथा सभी आवश्यक सिगनलों को '**ऑफ**' किया गया हो।

घ) यदि मुख्य लाइन बाधित हो गई है तब रनिंग थ्रू गाड़ी को लूप लाइन से गुजारा जा सकता है बशर्ते मार्ग के कांटों को बराबर सेट तथा सही सिगनलों को '**ऑफ**' किया गया हो।

ङ) सीधी जाने वाली गाड़ी को गुजारने के संबंध में स्टेमा, कान्हेगांव साधा.नि.4.10 तथा 4.11 की ओर विशेष रूप से ध्यान देगा।

च) यदि प्रस्थान सिगनल खराब हो गया है या बुझ गया है तब सिगनल को खराब समझा जाए। प्रस्थान सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मामले में प्राधिकार पत्र संख्या **टी/369 (3ख)** विधिवत भरकर, उन सिगनलों को '**ऑफ**' करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात रवाना की जा रही गाड़ी के चालक को जारी किया जाए। बिना रूके सीधी जानेवाली गाड़ी को प्राधिकार संख्या टी/369(3ख) जारी करने के लिए स्टेशन पर रोका जाए।

छ) जब कभी अप गाड़ी को कान्हेगांव-कोपरगांव सेक्शन में से सीधे गुजारना है तब कार्यरत स्टे.मा. ने समपार फाटक संख्या 62,63 पर कार्यरत फाटकवाला को सूचित करना चाहिए कि फाटक सड़क यातायात के लिए बंद तथा तालित करें और फाटक संख्या 63 बंद और तालित किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट नबंर प्राप्त करना चाहिए।

6.8 विफलता के मामले में गाड़ियों का संचलन :

6.8.1 रेलपथ परिपथ की खराबी :

6.8.1.1 जिस लाइन पर ट्रेन को लिया जाना है, उसके किसी ट्रैक सर्किट भाग या/और पॉइंट को नियंत्रित करने वाले ट्रैक सर्किट के विफल होने की स्थिति में, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित करेगा कि संबंधित ट्रैक सर्किट लाइन पर कोई ट्रेन या वाहन नहीं है और संबंधित पॉइंट क्लियर हैं। फिर वह विफल ट्रैक में पॉइंट शामिल होने की स्थिति में अनुलग्नक 'ख' में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

6.8.1.2 पॉइंट सेटिंग स्टेबल इंडिकेशन मिलने के बाद, ड्यूटी पर मौजूद स्टे.मा. रूट सेट और लॉक करेगा और ट्रेन को इच्छित लाइन पर लाने के लिए 'कॉलिंग ऑन' सिग्नल 'ऑफ करेगा । वह ड्यूटी पर मौजूद ई.एस.एम. को विफलता के बारे में सूचित भी करेगा।

कॉँटों की खराबी :

जब विद्‌युत चालित मोटर पॉइंट वी.डी.यू. ऑपरेशन का जवाब देने में विफल रहता है, तो स्टे.मा. को संबंधित सिगनल और पॉइंट को सामान्य करना चाहिए और उन्हें फिर से संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि दोष अभी भी बना रहता है, तो वह पॉइंट को अंतिम संचालित स्थिति में रीसेट कर देगा और तदनुसार ड्यूटी ई.एस.एम. को सूचित करेगा। हालाँकि, यदि ई.एस.एम. उपलब्ध नहीं है, तो उसे दोष का कारण जानने और उसे ठीक करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पॉइंट का निरीक्षण करना चाहिए {एस.आर. 3.77-1}, जैसे कि यदि कांटे और स्टॉक रेल के बीच कोई अवरोध पड़ा है, तो वह इसे हटा देगा, पॉइंट सेट करेगा और रूट को लॉक करेगा और अपेक्षित सिगनल को 'ऑफ' कर देगा। यदि वह विफलता को ठीक करने में असमर्थ है, तो वह क्रैंक हैंडल के साथ आवश्यक स्थिति में आवश्यक पॉइंट सेट करने की व्यवस्था करेगा।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

पॉइंट आवश्यक स्थिति में सेट होने और वी.डी.यू. पर संकेत दिखाई देने के बाद, सिगनल को 'ऑफ' किया जा सकता है {एसआर 3.51-4 (क)}, यदि पॉइंट सेट स्थिर संकेत वी.डी.यू. पर दिखाई नहीं देता है, तो वह पॉइंट को क्लैंप और पैडलॉक कर देगा और ट्रेन के लोको पायलट को सिगनल को "ऑन" पर पार करने के लिए टी/369(3बी) जारी करेगा।

6.8.2 सिगनलों की खराबी :

जब कोई सिगनल, जो पॉइंटों को पहचानता है, दोषपूर्ण होता है, तो ऐसे सिगनल द्वारा पहचाने गए सभी पॉइंटों को गैर-इंटरलॉक माना जाना चाहिए, सिवाय उन पॉइंटों के, जहाँ रूट में पॉइंट वी.डी.यू. पर स्थिर पॉइंट लॉक इंडिकेशन के साथ रूट सेटिंग द्वारा लॉक किए गए हैं। स्टे.मा. व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा खुद सनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऐसे पॉइंट जहाँ स्थिर लॉक इंडिकेशन उपलब्ध नहीं हैं, किसी भी ट्रेन को उन पर से गुजरने की अनुमति देने से पहले सही तरीके से सेट और लॉक किए गए हैं, इसके लिए ट्रेन के लोको पायलट को एसआर 3.68-1 (घ) (i) के अनुसार दोषपूर्ण सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार टी/369 (3ख) जारी करना होगा। वह विफलता के बारे में ड्यूटी पर मौजूद ई.एस.एम. को भी सूचित करेगा।

यदि किसी कारण से स्टैंडबाय व्यवस्था की विफलता सहित सिगनल चालू नहीं हो पाता है जैसे कि बिजली की विफलता या, तो स्टे.मा ने निजी नंबर आदान-प्रदान के तहत संदेश जारी करके तुरंत दोनों तरफ के स्टेशनों को और एस.सी.ओ.आर. को सूचित करना चाहिए। ट्रैफ़िक की दिशा में लाइन क्लियर देने के हेतु स्टेशन को 'क' श्रेणी में माना जाए।

6.8.4 ब्लॉक उपकरणों / डी.ए.सी. /ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर / निरंतर पथ परिपथ की खराबी :

6.8.4.1 ब्लॉक उपकरणों की खराबी :

जब कभी किसी एक या अधिक कारणों से ब्लॉक उपकरण खराब हो जाता है जैसा कि ब्लॉसंनि के पैरा 10.15 में बताया गया है तब ब्लॉक उपकरण को खराब समझा जाए और कार्यरत स्टे.मा., द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की जाए -

क) ब्लॉक टेलीफोन पर लाइन क्लियर की जाए और टीएसआर में प्रविष्टि करनी चाहिए और इस संबंध में **टी/ए 1425 या टी/बी 1425** को भरा जाए।

ख) **टी/ए 1425** या **टी/बी 1425** जैसी भी स्थिति हो जब तक भर नहीं दी जाती है तब तक अप /डाऊन गाड़ियों के लिए टी/369 (3ख) तैयार करके जारी नहीं करना चाहिए।

ग) **'ट्रेन कम्प्लिट अराइवल'** की अभिस्वीकृति तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक **स्टे.मा. पुणतांबा या कोपरगांव** जैसी भी स्थिति हो से **प्राइवेट नंबर** के समर्थन में **"इन रिपोर्ट"** प्राप्त नहीं होती है।

घ) ब्लॉक उपकरण पर 'सतर्कता संकेतक' लटकाना चाहिए।

ड़) ब्लॉक उपकरण को पुनः प्रचालन में लाने से पहले अवश्य पुष्टि की जाए कि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी नहीं है।

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे